Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding milk adulteration in India.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देशहित तथा जनहित में मैलामाइन की मिलावट दूध, दुग्ध उत्पादों, अन्य खाद्य पदार्थों तथा पशु आहारों के संदर्भ में दिलाना चाहता हूं । मैलामाइन को सन् 1830 में जर्मन वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था । यह एक सफेद रंग का पाउडर होता है जिसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने व टाइलें बनाने में किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैलामाइन एक धीमा जहर है । इसकी मिलावट दूध, दुग्ध उत्पादों तथा अन्य खाद्य पदार्थों, जिसमें पशु आहार है, में किया जाता है । इसके मिलाने से प्रोटीन की मात्रा अधिक दिखती है । इन मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपयोग से गुर्दे की पथरी तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है । सन् 2008 में चीन में मैलामाइन युक्त दूध के उपयोग से हजारों बच्चे बीमार हो गए थे । वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं द्वारा भी खाद्य पदार्थों में मैलामाइन की मिलावट को पूर्णत: प्रतिबंधित रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस कारण अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है । इसी तरह भारत की संस्था एफ.एस.एस.ए.आई. ने भी चीन से आयात किए जाने वाले दूध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है, परन्तु साथ ही एफ.एस.एस.ए.आई. ने एक मात्रा निर्धारित कर दी है, जिसे दूध, दुग्ध उत्पादों तथा अन्य उत्पादों में मिलाया जा सकता है । यह एक अजीब बात है । अभी तक भारत में मैलामाइन के मिलावट की कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आई है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्यगण एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकें, वही माननीय

सदस्य इस समय सदन में बोलें । छः बजकर तीस मिनट पर आज सदन स्थगित होगा ।

श्री रामस्वरूप शर्मा : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विरोधाभास को देखते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की मैलामाइन की मिलावट को रोकने हेतु एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित मात्रा को पूर्णतः समाप्त किया जाए, ताकि देश के बच्चों तथा पशुधन को होने वाली हानि से बचाया जा सके ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।